दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि: 28 अक्टूबर, 2013

रि.या.(सि.) 6295/2012

तिलक राज तनवर .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री राजेश डागर, अधिवक्ता सह श्री स्वास्तिक सिंह, अधिवक्ता

बनाम

दि.वि.प्रा. ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अर्जुन पंत, प्रत्यर्थी-1 हेतु अधिवक्ता। सुश्री संगीत सोंधी, प्रत्यर्थी-2 हेतु अधिवक्ता।

कोरम:
माननीय श्री न्यायमूर्ति जी.पी. मित्तल

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. जी.पी. मित्तल</u> (मौखिक)

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है: -

> *"रिट(ओं), आदेश(ओं) और दिशा(ओं) में उचित प्रकृति में प्रतिवादी सं. 1 को निर्देश दिया गया है कि वह "महावीर एन्क्लेव- III 2004 के बेदखल" नामक योजना के मद्देनजर याचिकाकर्ता को वैकल्पिक आवासीय डीडीए फ्लैट आबंटित*

करे, जो उन लोगों के पुनर्वास के उद्देश्य से तैयार किये गए थे, जिनकी आवासीय/व्यावसायिक संपत्तियों को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के नियोजित विकास के लिए 18 मीटर सड़क चौड़ीकरण के निर्माण के लिए अवार्ड सं. 1/2003-2004 दिनांक 29.04.2003 के तहत अधिग्रहित किया गया था।"

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह संपत्ति क्रमांक सी-25 और सी-26, महावीर एन्क्लेव-III, नई दिल्ली का वैध मालिक था, जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज है। इस संपत्ति पर उसका वास्तविक और भौतिक कब्ज़ा था। अधिसूचना सं. एफ.10(43)/98/एलएंडबी/एलए/13120 और अधिसूचना सं. एफ.10(43)/98/एलएंडबी/एलए/1315 दिनांक 30.04.2001 के अनुसार, याचिकाकर्ता के कब्जे वाली भूमि सहित 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि सार्वजनिक उद्देश्य, यानी सड़क के निर्माण और चौड़ीकरण और दिल्ली के नियोजित विकास के लिए अधिग्रहित की गई थी। सुपर स्ट्रक्चर और भूमि के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरण द्वारा बनाई गई थी।

3. अवार्ड सं. 1/2003-2004 द्वारा सुपर स्ट्रक्चर के संबंध में मूल्यांकन करते समय, याचिकाकर्ता के भाई अशोक कुमार का नाम अनजाने में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा उल्लेखित किया गया था। इससे सुपर

स्ट्रक्चर और उसके नीचे की जमीन के अधिग्रहण का मुआवजा केवल अशोक कुमार (यहां प्रतिवादी सं. 3) के पक्ष में दिया गया।

4. दिनांक 03.07.2008 के आदेश द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा किए गए संदर्भ पर विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की न्यायालय ने गलती को सुधारा और माना कि आईपी सं. 2, तिलक राज, यानी याचिकाकर्ता मुआवजे की राशि पाने का हकदार है और इसी तरह, अधिग्रहित भूमि के संबंध में याचिकाकर्ता को देय मुआवजे के संबंध में एक और संदर्भ था। दिनांक 29.03.2010 के आदेश द्वारा, श्री अरुण भारद्वाज, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को अधिग्रहित की गई 81 वर्ग गज भूमि के संबंध में मुआवजे का हकदार माना।

5. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) ने अवर सचिव के माध्यम से दिनांक 19.01.2011 को एक पत्र जारी करके याचिकाकर्ता के पक्ष में वैकल्पिक डीडीए फ्लैट के आवंटन की सिफारिश की। हालांकि, गलती से फ्लैट सं. 410, टाइप ए, पॉकेट III, ब्लॉक बी का आवंटन याचिकाकर्ता के भाई अशोक कुमार (प्रतिवादी सं. 3) के पक्ष में कर दिया गया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि चूंकि मुआवजे के निर्णय में नाम दर्ज करने में हुई गलती को विद्वान

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने ऊपर दिए गए आदेशों के माध्यम से ठीक कर दिया था और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) द्वारा भी फ्लैट को केवल याचिकाकर्ता के नाम पर आबंटित करने की सिफारिश की गई थी, इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के लिए प्रतिवादी सं. 3, जो याचिकाकर्ता का भाई है, के नाम पर फ्लैट आवंटित करने का कोई अवसर नहीं था।

7. हालांकि, अभिलेख पर पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर, यह स्पष्ट था कि यह याचिकाकर्ता था जो वैकल्पिक फ्लैट के आवंटन का हकदार था, फिर भी किसी भी विवाद से बचने के लिए, याचिकाकर्ता के भाई अशोक कुमार को इस रिट याचिका में प्रतिवादी सं. 3 के रूप में एक पक्ष के रूप में शामिल करने का आदेश दिया गया था। उन्हें विधिवत नोटिस दिया गया। उन्होंने वर्तमान याचिका का विरोध नहीं करना पसंद किया है।

8. यह स्पष्ट है कि वैकल्पिक फ्लैट के आवंटन के संबंध में उनका कोई दावा नहीं है, जो अभिलेख में रखे गए दस्तावेजों के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में किया जाना है।

9. रिट याचिका को प्रतिवादी सं. 1 को फ्लैट सं. 410, पॉकेट-III, ब्लॉक-बी (टाइप ए), ग्राउंड फ्लोर याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटित करने के निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है।

10. डीडीए द्वारा आवंटन पत्र छह सप्ताह की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।

11. आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता को दी जाए।

12. तदनुसार रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(जी.पी. मित्तल)
न्यायाधीश

अक्टूबर 28, 2013
वीके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*